

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-501) अलेसे-1/ 483

दिनांक:- 13/7/2021

कार्यालय आदेश

श्री सांवर मल (लिंक नं. 9634), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपकोष, खण्डेला (सीकर) द्वारा दिनांक 01.09.2020 से 15.02.2021 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय उपकोषाधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार उक्त पद रिक्त दिनांक 01.09.2020 से 15.02.2021 तक का (उक्त अवधि में दिनांक 20.10.2020 से 23.10.2020 तक के रूपान्तरित अवकाश की अवधि को सम्मिलित नहीं करते हुए) स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाता है।



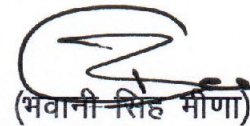
(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-501) अलेसे-1/ 483

दिनांक:- 13/7/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कोषाधिकारी, सीकर।
2. उपकोषाधिकारी, खण्डेला (सीकर)।
3. उपकोषाधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)।
4. श्री सांवर मल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-उपकोष, खण्डेला (सीकर)।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)